

कार्य मंत्रणा समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

आठवां प्रतिवेदन

(19.11.2019 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, 18 नवंबर, 2019 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए समय के नियतन की सिफारिश की:—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 15) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना। (अध्यादेश का स्थान लेने के लिए)   | } 2 घंटे |
| 2. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना। (अध्यादेश का स्थान लेने के लिए) | } 3 घंटे |
| 3. वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे सहित) के प्रथम प्रक्रम पर चर्चा और मतदान।  | } 4 घंटे |
| 4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019<br>(विचार तथा पारित करना)  | } 1 घंटा |
| 5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019<br>(विचार तथा पारित करना)  | } 1 घंटा |

नई दिल्ली;  
18 नवम्बर, 2019  
27 कार्तिक, 1941 (शक)

ओम बिरला  
सभापति,  
कार्य मंत्रणा समिति।